न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री बलदेवसिंह हाडा

अपील संख्या 79/14 तारीख रजू– 14/03/2014

लक्ष्मणसिंह पुत्र स्व0 राजा मानसिंह जाति राजपूत निवासी चौथ का बरवाडा हाल बरवाडा हाउस अजमेर रोड जयपुर। ––अपीलार्थी

बनाम

1– सरकार जरिये तहसीलदार,चौथ का बरवाडा।
2– क्षैत्रीय वन अधिकारी,सवाईमाधोपुर

––––– रेस्पो0

निर्णय **दिनांक–18/02/2016**

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार, चौथ का बरवाडा के नामान्तरकरण संख्या 220 निर्णय दिनांक 10/09/68 वाके ग्राम बरवाडा के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसमे रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा रेस्पो0 संख्या 2 के पक्ष मे अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी मूल नामान्तरकरण तलब किया गया। रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से राजकीय अधिकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बहस अपील मे बताया कि नामान्तरकरण संख्या 220 दिनांक 10/09/68 अपीलार्थी की खातेदारी भूमि थी। खसरा नम्बर 1984 रकवा 211 बीघा 18 बिश्वा के हाल नम्बर 2510,2511 ग्राम चौथ का बरवाडा पूर्व मे राजा मानसिंह के कब्जे व स्वामित्व की भूमि थी। अपीलार्थी पिता का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। उक्त नामान्तरकरण अपीलार्थी को सुने बिना एवं उनकी जानकारी के बिना रेस्पो0 संख्या 1 तहसीलदार ने रेस्पो0 संख्या 2 वन विभाग के नाम गलत तौर से तस्दीक कर दिया है जो गैर कानूनी होने से खारिज योग्य है। अपीलार्थी ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाडा मे पेश किया जिसमे रेस्पो. संख्या 2 ने अपना जवाब दावा पेश किया। उसने जवाब दावे मे रेस्पो0 2 के नाम नामान्तरकरण तस्दीक होने की जानकारी दी गई। जवाब दावे की नकल अधिवक्ता को 02/01/14 को भिजवायी तब नामान्तरकरण की जानकारी से दिनांक 06/01/14 को नामान्तरकरण की नकल लेने की हिदायत दी गई। नकल मिलने पर 06/03/14 को अपील पेश की है। नामान्तरकरण गुपचुप तरीके से दस्दीक किया है। जागीर रिज्यूम होने पर अपीलार्थी को मालिक घोषित किया गया था। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर तस्दीकशुदा नामान्तरकरण निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे बताया कि नामान्तरकरण संख्या 220 के कालम 5 मे भूमि सिवायचक की है। यदि अपदलार्थी के नाम होती तो उनका नाम दर्ज होना चाहिये था। अपीलार्थी ने कोई जमाबन्दी पेश नही की है जिससे उनकी खातेदारी स्वामित्व की भूमि होना सिद्व होवे। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाकर तस्दीकशुदा नामान्तरकरण यथावत रखा जावे।

बहस के जवाब मे अपीलार्थी अधिवक्ता ने संवत 2013–16 की जमाबन्दी मे अपीलार्थी के पिता का नाम दर्ज होना बताया है।

दोनो पक्षो की बहस को गौर किया। अपीलार्थी ने संवत 2013–16 की जमाबन्दी मे अपीलार्थी के पिता का नाम दर्ज होने का तर्क लिया है लेकिन वह इन्द्राज कालम नम्बर 4 मे है जो राजस्थान सरकार के नाम पर है। यह ग्राम अपीलार्थी के पिता की जागीर मे था। अतः कालम नम्बर 4 मे जागीरदार का नाम दर्ज होता था। जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम मे जागीर रिज्यूम होने के बाद राजस्थान सरकार का नाम दर्ज होने लगा है। अतः अपीलार्थी के स्वामित्व की भूमि सिद्व नही होती है। संवत 2013 लगायत 2016 के

जिला कलेक्टर
सवाईमाधोपुर

द की जमाबन्दिया पेश नही है उसमे भूमि सिवायचक दर्ज होने की संभावना है। नामान्तरकरण के कालम मे भी भूमि सिवायचक दर्ज है। अतः नामान्तरकरण संख्या 220 निर्णय दिनांक 10/09/68 सही तस्दीक आ है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण यावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18/02/2016 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(बलदेवसिंह हाडा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर